कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी (स्वशासी संस्था)
अधिष्ठाता नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/अराज/स्व/2021/ 9204 जबलपुर, दिनांक- 21 /09/2021

'संशोधित आदेश'

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 122-27/स्था/अराज/2020 भोपाल दिनांक 17/09/2020 द्वारा प्राप्त परिचारिका संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से संबद्ध चिकित्सालयों में मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 के निर्देशानुसार म.प्र. शासकीय नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/स्था/अराज/2020/10036 दिनांक 29.12.2020 , सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के तहत संविदा कर्मियों हेतु 20 प्रतिशत पदों पर एवं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित समूह-5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स के बैगा सहरिया एवं भारिया विशेष जनजाति समुदाय के प्राप्त आवेदनों के आधार पर रिक्त स्टाफ नर्स के पदों पर अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत योग्य पाये गये अभ्यर्थियों के स्टाफ नर्स के पद पर निम्नानुसार नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं।

स.क्र.	आदेश क्रमांक	दिनांक
01	क्रमांक/स्था/अराज/स्व/ 2021/273	08/01/2021
02	क्रमांक/स्था/अराज/स्व/2021/2766	30/03/2021
03	क्रमांक/स्था/अराज/स्व/2021/3282	15/04/2021
04	क्रमांक/स्था/अराज/स्व/ 2021/3353	18/04/2021
05	क्रमांक/स्था/अराज/स्व/ 2021/3912	06/05/2021
06	क्रमांक/स्था/अराज/स्व/ 2021/4134	13/05/2021
07	क्रमांक/स्था/अराज/स्व/ 2021/5004	29/05/2021
08	क्रमांक/स्था/अराज/स्व/ 2021/6350	24/06/2021
09	क्रमांक/स्था/अराज/स्व/ 2021/6887	09/07/2021

उपरोक्त नियुक्ति आदेशों में निहित शर्तों में आंशिक संशोधन करते हुए **संचालक चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 932/स्था/अराज/संचिशि/2019, भोपाल दिनांक 24/08/2019 के तहत प्रथम तीन माह हेतु एक निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/-** (रू. **दस हज़ार मात्र) पर आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। 03 माह पश्चात संबंधित पद हेतु परीक्षा ली जावेगी,** एवं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही नियुक्त कर्मचारी को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 में निहित निर्देशानुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में सातवें वेतनमान के लेवल-7 में न्यूनतम वेतनमान 28700/- का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में प्रदान करते हुए स्वशासी संस्था के अंतर्गत स्वशासी संवर्धन एवं संविलयन नियम 1998 एवं म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम-2018 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्नलिखित शर्तो के अधीन मेडिकल कॉलेज जबलपुर की स्थापना में अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति प्रदान की जावेगी। एवं पूर्व में जारी किये गये उपरोक्त नियुक्ति आदेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
ने.सु.च.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर
(फोन न. 0761-2370951)

G:\Joining Order1 final 123.docx

Scanned by CamScanner

पृ.क्रमांक/स्था/अराज/स्व/2021/ 9204 जबलपुर, दिनांक- 28 /09/

प्रतिलिपि:-आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित:-

1. संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर।
2. संभागायुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर।
3. जिलाध्यक्ष, जिला-जबलपुर की ओर।
4. संचालक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
5. संचालक सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
6. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक मेडिकल कॉलेज चिकित्साल की ओर।
7. अधीक्षक कैंसर चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
8. समस्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
9. वित्त अधिकारी, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
10. मैट्रन, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय एवं कैंसर चिकित्सालय जबलपुर।
11. स्थानीय लेखा शाखा की ओर।
12. संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ द्वारा उचित माध्यम।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
ने.सु.च.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर
(फोन न. 0761-2370951)

Scanned by CamScanner